

**बिहार सरकार
वित्त विभाग**

प्रेषक,

**संजय कुमार सिंह,
सचिव ।**

सेवा में,

**सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव
सभी सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, बिहार ।**

पटना, दिनांक-

विषय:- बिहार राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा एवं केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारियों के संदर्भ में एकीकृत पेंशन योजना(यू०पी०एस०) के क्रियान्वयन के संबंध में ।

प्रसंग:- वित्त विभागीय पत्रांक-774(पें०) दिनांक-18.09.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक-01.04.2025 के प्रभाव से यू०पी०एस० लागू की गयी है । तदालोक में राज्य में पदस्थापित अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के संदर्भ में यू०पी०एस० लागू करने के संदर्भ में प्रसंगाधीन वित्त विभागीय पत्रांक-774(पें०) दिनांक-18.09.2025 द्वारा आवश्यक दिशानिर्देश निर्गत किया गया है। इसके तहत यू०पी०एस० का विकल्प चयन करने वाले पदाधिकारियों के माईग्रेशन, फंड अंतरण हेतु राज्य स्तरीय नोडल कार्यालयों (एस०एन०ओ०) के रूप में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(डी०डी०ओ०)/जिला कोषागार पदाधिकारी(डी०टी०ओ०)/कोषागार एवं लेखा निदेशालय(डी०टी०ए०) का निबंधन तथा यू०पी०एस० के तहत फंड अंतरण हेतु पृथक शीर्ष खोलने की कार्रवाई की जा चुकी है । अखिल भारतीय सेवा एवं केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारियों के संदर्भ में यू०पी०एस० के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नवत् जारी किया जाता है :-

(i) नव नियुक्त पदाधिकारी यू०पी०एस० के संबंध में विकल्प चयन हेतु प्रपत्र ए-1 तीन प्रति में भरकर अपने नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे । नियंत्री पदाधिकारी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(डी०डी०ओ०) एवं जिला कोषागार पदाधिकारी(डी०टी०ओ०)निबंधन संख्या

अंकित करते हुए एक प्रति संवर्ग नियंत्री विभाग को तथा एक प्रति वित्त विभाग को प्रेषित की जाएगी । संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा संबंधित पदाधिकारी को एच0आर0एम0एस0 में यू0पी0एस0 के तहत फ्लैग करने की कार्रवाई की जाएगी । इसी प्रकार एन0एस0डी0एल0 द्वारा निबंधन/माईग्रेशन के समय इनके PRAN को यू0पी0एस0 के तहत फ्लैग किया जाएगा ।

(ii) यू0पी0एस0 से आच्छादित पदाधिकारियों के फंड अंतरण की कार्रवाई राज्य स्तरीय नोडल कार्यालयों (एस0एन0ओ0) के रूप में निबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(डी0डी0ओ0) एवं जिला कोषागार पदाधिकारी(डी0टी0ओ0) के द्वारा की जाएगी ।

(iii) कोषागार से वेतन प्राप्त नहीं करने वाले पदाधिकारियों (बाह्य सेवा) का फंड अंतरण एतद् संबंधी निर्गत वित्त विभागीय पत्रांक-1118 दिनांक-03.08.2012 में विहित प्रावधानों के आलोक में पूर्ववत् भविष्य निधि निदेशालय द्वारा किया जाएगा।

(iv) यू0पी0एस0 से आच्छादित पदाधिकारियों के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के जोड़ की दस प्रतिशत राशि की कटौती उनके वेतन से की जाएगी तथा समान राशि सरकारी अंशदान के रूप में जोड़ते हुए उसका फंड अंतरण किया जाएगा । पूल कॉर्पस(8.5%) के संदर्भ में दायित्व का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना है ।

(v) यू0पी0एस0 के तहत पदाधिकारी अंशदान की कटौती उनके वेतन शीर्ष से तथा सरकारी अंशदान की कटौती शीर्ष-2071(विपत्र कोड-2071011210001) से की जाएगी । दोनों कटौतियों को शीर्ष-8235 के तहत विपत्र कोड-8235001490003(कर्मि अंशदान) तथा विपत्र कोड-8235001490002(राज्य अंशदान) में संधारित किया जाएगा एवं तत्पश्चात संयुक्त अंशदान को विपत्र कोड-8235001490001 से एन0पी0एस0 ट्रस्ट को अंतरित किया जाएगा ।

अनु0-प्रपत्र-ए-1

विश्वासभाजन

ह0/-

(संजय कुमार सिंह),
सचिव ।

.....3

ज्ञापांक-

दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधन, पटना उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/परिषद्/प्रबंधक, PFRDA/NSDL/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सचिव ।

ज्ञापांक- 615 (पै०)

दिनांक- 02-7-2026

प्रतिलिपि- विशेष कार्य पदाधिकारी, BPSMS/प्रभारी पदाधिकारी, KPMG/TCS को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त के आलोक में यू0पी0एस0 में शामिल पदाधिकारियों के फंड अंतरण हेतु HRMS/CFMS में आवश्यक व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित किया जाय ।



सचिव ।


30.6.26

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव (संसाधन) ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव
सभी सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी/वरीय कोषागार पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक- 18.09.2025

विषय:- बिहार राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा एवं केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारियों के संदर्भ में UPS के क्रियान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0-FX-1/3/2024-PR दिनांक-24.01.2025 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मियों/पदाधिकारियों हेतु एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (UPS) दिनांक-01.04.2025 के प्रभाव से लागू की गयी है । पुनः कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-25014/01/2025-AIS दिनांक-30.04.2025 द्वारा अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के संदर्भ में UPS के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों को निदेशित किया गया है ।

2. बिहार राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा एवं केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारियों के संदर्भ में UPS के क्रियान्वयन के संदर्भ में निम्न दिशा-निर्देश निर्गत किया जाता है :-

(i). जो पदाधिकारी दिनांक-01.04.2025 को सेवारत थे, वे UPS के संदर्भ में अपना विकल्प चयन हेतु अपना आवेदन प्रपत्र-A2 में तीन प्रति में भरकर अपने नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे । नियंत्री पदाधिकारी के डी.डी.ओ. द्वारा प्रपत्र में डी.डी.ओ. एवं डी.टी.ओ. निबंधन संख्या अंकित करते हुए एक प्रति सम्बर्ग नियंत्री विभाग को तथा एक प्रति वित्त विभाग को प्रेषित की जाएगी । संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा संबंधित पदाधिकारी को HRMS में UPS के तहत चिन्हित/फ्लैग करने की कार्रवाई की जाएगी ।

(ii). नव-नियुक्त पदाधिकारी UPS के संदर्भ में अपना विकल्प चयन हेतु अपना आवेदन प्रपत्र-A1 में तीन प्रति में भरकर अपने नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे । शेष प्रक्रिया उपर्युक्त कंडिका-(i) के अनुरूप ही होगी ।

(iii). जो पदाधिकारी UPS हेतु विकल्प का चयन नहीं करेंगे, वे NPS के तहत बने रहेंगे एवं उन्हें NPS के तहत प्रदत्त लाभ अनुमान्य होंगे ।

(iv). UPS से अच्छादित पदाधिकारियों के फंड अंतरण की कार्रवाई SNO

(State Nodal Officer) के रूप में निबंधित डी.डी.ओ./डी.टी.ओ. के द्वारा की जाएगी। इस हेतु TCS के द्वारा CFMS में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

(v). UPS से आच्छादित पदाधिकारियों के मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता के जोड़ की दस प्रतिशत राशि की कटौती उनके वेतन से की जाएगी तथा समान राशि सरकारी अंशदान के रूप में जोड़ते हुए उसका फंड अंतरण किया जाएगा। पूल कॉर्पस (Pull Corpus) “8.5%” के संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई वित्त विभाग के स्तर से की जाएगी।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को उपर्युक्त वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए अपेक्षित अग्रतर कार्रवाई हेतु निदेशित करने की कृपा की जाए।

अनु०- (प्रपत्र A1 एवं A2)

विश्वासभाजन

(जय सिंह)

सचिव (संसाधन)।

17.9.25

Protean eGov Technologies Limited (formerly NSDL e- Governance Infrastructure Ltd.)

US Person Yes ☐ No ☐

Particulars		Country (1)	Country (2)	Country (3)
Country/countries of Tax Residency				
Address in the jurisdiction for Tax Residence	Address Line 1			
	City/Town/Village			
	State			
	ZIP/Post Code			
Tax Identification Number (TIN)/Functional equivalent Number				
TIN/ Functional equivalent Number Issuing Country				
Validity of documentary evidence provided (Wherever applicable)		ddmmyyyy	ddmmyyyy	ddmmyyyy

Signature / Thumb Impression* of
Applicant (refer instructions)

Date:	d	d	m	m	y	y	y	y	Place:	
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--

Signature / Thumb Impression* of Applicant
 (*LTI in case of males and RTI in case of females to be provided. Toe impression in case no hands)

DDO Registration Number* PAO / CDDO / PrAO Registration Number*

2 of 4

Name of DDO		Name of PAO	
Signature of DDO		Signature of PAO	
DDO Code No. (As per record in CRA System)		PAO Code No. (As per record in CRA System)	
Seal of DDO		Seal of PAO	
Date		Date	
Place		Place	

ACKNOWLEDGEMENT

Name of the Subscriber

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Date of Receipt of Application :

d	d	m	m	y	y	y	y
---	---	---	---	---	---	---	---

INSTRUCTIONS FOR FILLING THE SUBSCRIBER REGISTRATION FORM

General guidelines

- (a) Please fill in legible handwriting to avoid errors. Do not overwrite. Corrections should be countersigned by the applicant. Applications incomplete in any aspect (or) if mandatory fields are left blank (or) with unclear photograph (or) not accompanied by required documents (or) not authenticated by the Nodal Office are liable to be rejected.
- (b) Copies of documents submitted by the applicant should be self-attested.
- (c) Applicant is advised to retain the acknowledgement slip signed / stamped by the designated nodal officer where they submit the application.

SI	Item No	Item Details	Instructions
1	1	Fathers Name, Mother's Name	(a) If the name has more than 30 digits, fill Annexure II for the same. (b) If the applicant is an Orphan, he/she may leave the fields blank. However, an official document to support the status to be submitted.
		Politically Exposed Person	Politically Exposed Person's (PEPs) are individuals who are or have been entrusted with prominent public functions such as heads of state or of the government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state-owned corporations, important political party officials.
2	2	Proof of Identity	If the applicant is submitting Aadhaar as proof of Identity, the first 8 digits of the Aadhaar number should be redacted / masked on the submitted copy.
3	5	Bank Details	For UPS account opening through physical form (FORM A1) bank details and documentary proof are mandatory. Please submit a cancelled cheque / copy of bank passbook / bank statement / bank certificate / letter from Bank containing applicant's Name, Bank Name, Bank Account Number and IFS Code.
4	6	Selection of Pension Fund (PF) & Investment Choice	Government employee/subscribers can exercise choice of Pension Funds and allocate their investments either in Asset Class 'G' under 'Active Choice' or in Life Cycle Funds - LC 50 or LC 25 under 'Auto Choice'. If no choice is provided, the contributions will be distributed among the default Pension Funds and investment pattern selected by the Government.
5	7 & 8	FATCA & CRS Declaration / Signature by Applicant	Clarification / Guidelines on filling details if applicant residence for tax purposes in jurisdiction(s) outside India: - Jurisdiction(s) of Tax Residence : Since US taxes the global income of its citizen, every US citizen of whatever nationality, is also a resident for tax purpose in USA. - Tax identification Number (TIN) : TIN need not be reported if it has not been issued by the jurisdiction. However, if the said jurisdiction has issued a high integrity number with an equivalent level of identification (a "Functional equivalent"), the same may be reported. Examples of that type of number for individual include, a social security/insurance number, citizen/personal identification/services code/number and resident registration number). - In case applicant is declaring US person status as 'No' but his/her Country of Birth is US, document evidencing Relinquishment of Citizenship should be provided or reasons for not having relinquishment certificate is to be provided. - In case applicant is declaring US person status as 'Yes', provide PAN and 'father name' in addition to details required under section 9 of form. - In case the applicant is unable to affix signature, Left Thumb Impression in case of male and Right Thumb Impression in case of female should be affixed and in case there is no hands, toe impression of the applicant to be provided. The thumb / toe impression should be attested by two persons, one of whom should be the designated nodal officer attesting the same under his/her official seal and stamp.

General Information for Subscribers

- a) The Subscriber can obtain the status of his/her application from CRA and respective Nodal Office.
- b) Subscribers are advised to retain the acknowledgement slip signed/ stamped by the designated respective nodal office where they submit the application.
- c) For more information / clarifications, contact CRA:

Website: <https://www.npskra.nsdl.co.in>
Call: 020 6906 6906
Address: Central Recordkeeping Agency (CRA)
Protean eGov Technologies Limited
(formerly NSDL e-Governance Infrastructure Limited)
1st Floor, Times Tower, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg,
Lower Parel (W), Mumbai - 400013

Annexure I - Print PRAN Card in Hindi (Fill the details in Devnagri script)

[illegible]

Annexure II - If Alphabets of name exceeded the space provided on page 1 of the application form

[illegible]